



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2018/आषाढ़ 1, 1940

No. 2293]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2018/ASHADHA 1, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

**का.आ. 3030(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथानिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
111 (नया रारा 130)	बिलासपुर – पाथरपाली खंड (छत्तीसगढ़ राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 53.300

[फा.सं. एनएच-14013/2/2018-पी एंड एम (पार्टी)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi the, 22nd June, 2018

**S. O. 3030(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

**TABLE**

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
111 (New NH 130)	Bilaspur-Patharpali Section (In the State of Chhatisgarh)	Km 0.000 to km 53.300

[F. No. NH-14013/2/2018-P&M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

**का.आ. 3031(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“5	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 307.600 से किमी 405.000 (रायपुर – नागपुर खंड) और किमी 88.000 से किमी 281.000 (रायपुर - औरंग) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 12ए, सं. 16, सं. 43, सं. 78, सं. 111 [किमी 0.00 से किमी 53.300 (बिलासपुर - पाथरपाली खंड) तक को छोड़कर], सं. 200 [किमी 0.000 से किमी 127.650 (रायपुर – बिलासपुर खंड) तक को छोड़कर], सं. 202, सं. 216, सं. 217, सं. 221, नई रारा सं. 130ए, नई रारा सं. 130बी, नई रारा सं. 130सी, नई रारा सं. 130डी, नई रारा सं. 149बी, नई रारा सं. 163ए, नई रारा सं. 343 और नई रारा सं. 930 के उतने भाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित हैं।	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार”।
----	--	-------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/2/2018- पी एंड एम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ.-1819 (अ), तारीख 4 मई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2018

**S. O. 3031(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
“5	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km.307.600 to Km. 405.000 (Raipur-Nagpur section) and from Km. 88.000 to Km. 281.000 (Raipur-Aurang)], No. 12A, No. 16, No. 43, No. 78, <b>No. 111 [excluding from km 0.00 to km 53.300 (Bilaspur-Patharpali Section)]</b> , No. 200 [excluding from Km. 0.000 to Km. 127.650 (Raipur-Bilaspur section)], No. 202, No. 216, No. 217, No. 221, new NH No. 130A, new NH No. 130B, new NH No. 130C, new NH No. 130D, new NH No. 149B, new NH No. 163A, new NH No. 343 and new NH No. 930 as are situated within the State of Chhattisgarh.	State Government of Chhattisgarh”.

[F. No. NH-14013/2/2018-P&amp;M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Foot Note :** The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1819 (E), dated the 4<sup>th</sup> May, 2018.